12/10/2020 वकील फरीकेन उपस्थित। पत्रावली मे विस्तृत निर्णय लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दावा पत्रावली मे हम फीता रहे।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.11.09 16:07:27 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

①

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी करौली

मु०नं०	सी.सी.एम.एस नं.	ता०रज०
24/15	2015/00062	7.7.2015

पीठासीन अधिकारी - श्री देवेन्द्र सिंह परमार R.A.S.

वकील सायल - श्री बाबूलाल शर्मा

वकील गैरसायलान - श्री नवल किशोर शर्मा

निर्णय दिनांक 12.10.2020.

उनवान

1. संतोष कुमार
2. हेमेन्द्र कुमार
3. रामबाबू

} पुत्रान रघुवीर प्रसाद

4. मुन्नी देवी पत्नी रघुवीर प्रसाद
5. प्रकाश चन्द
6. गोविन्द प्रसाद

} पुत्रान हरीचरण

सभी जाति महाजन निवासी भूडारा बाजार करौली तहसील व जिला करौली

— सायलान

बनाम

1. मोतीलाल पुत्र हरगोविन्द
2. विष्णु पुत्र हरगोविन्द
3. रामकुमार पुत्र हरगोविन्द
4. ब्रहमानन्द पुत्र हरगोविन्द
5. शिवदयाल पुत्र हरगोविन्द
6. केदार पुत्र हरगोविन्द

} सभी जाति ब्राहण निवासीयान हाल भुम्मा कालोनी करौली तहसील व जिला करौली (राज०)

7. तहसीलदार तहसील करौली लैण्डहोल्डर करौली

— गैरसायलान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.11.09 16:07:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र सायलान इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 4646 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा वाके कस्बा करौली तहसील करौली सायलान व प्रतिवादी नम्बर 7 व 8 शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की स्थित है। जिसमे सायलान का 1/2 हिस्सा व गैरसायलान 7 व 8 का 1/2 हिस्सा है। गैर सायलान नम्बर 1 ता० 6 का किसी प्रकार का कोई हक व सम्बन्ध नही है। गैरसायलान ताकत वाले पैसे वाले एवं झगडालू किस्म के व्यक्ति है। और जबरन सायलान एवं प्रतिवादी नम्बर 7 व 8 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख०नं० 4646 मे जबरन निर्माण करने पर आमादा है। दिनांक 25-6-2015 को गैर सायलान नम्बर 1 ता 6 ने जबरन शुक्ला कालोनी की तरफ हमारे खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 4646 के कुछ हिस्से में निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। निर्माण न करने की मना करने पर गैरसायलान आमादा फिसाद हो गये। गैर सायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे सायलान के शामलाती कब्जे काश्त मे किसी तरह से मदाखलत मजाहमत नही करें न किसी अन्य से कराके सायलान को शांति पूर्वक आराजी पर काबिज रहने दे आराजी मुतनाजा में न तो स्वयं कोई निर्माण कार्य करे न करावे एवं गैरसायलान द्वारा जबरन निर्माण कार्य कर लिया है। उसे सायलान गैर सायलान के खर्चे से हटवाने के अधिकारी है। यदि दौराने दावा गैर सायलान ने सायलान की आराजी को दबाते हुये निर्माण कार्य कर लिया तो सायलान के हक हकूको पर भारी आघात होगा सायलान को भारी अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा होगी बेजा मुकदमे बाजी बढेगी अत: गैर सायलान नम्बर 1 ता० 6 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह सायलान की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 4646 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा स्थित [illegible] कस्बा करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.11.09 16:07:27 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

में किसी भी हिस्से मे न तो स्वयं मदाखलत मजाहमत करें न अन्य से करावे एवं न तो स्वयं निर्माण करें ना अन्य से करावे एवं किये गये निर्माण को गैरसायलान के खर्चे से जरिये मेन्डेटरी इन्जक्सन हटवाया जावे गैर सायल नम्बर 7 को पाबन्द किया जावे कि वह आराजी ख. नं. 4646 के रकबे मे किये जा रहे निर्माण को करवाये एवं किये गये निर्माण कार्य को गैर सायलान नं. 1 ता 6 के खर्चे से हटवायें।

गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर सायलान द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी सायलान के स्वामित्व व कब्जे काश्त की नही है और उक्त आराजी पर लम्बे अर्से से कोई फसल काश्त नही होती है। आराजी के संबंध मे सायलान के विरूद्ध दीगर व्यक्तियो द्वारा दावा न्यायालय मे लम्बित है सायलान का वाद ग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त की है. गैरसायलान ताकतवाले पैसे वाले व झगडालू किस्म के व्यक्ति नही है। ख. नं. 4646 मे जबरन कोई निर्माण करने पर गैर सायलान आमादा नही है ना कोई उक्त आराजी मे निर्माण किया गया है समस्त निर्माण सन् 2001 का है और तभी से गैर सायलान मकानो मे रिहायश कर रहे है। गैर सायल ने निर्माण बावत कोई एतराज नही किया है। गैर सायलान द्वारा सन् 2015 मे अथवा उसके आस पास कोई निर्माण नही किया है। गैर सायलान दायरी दावा के समय से करीब 14 साल पूर्व से वादग्रस्त आराजी पर निर्विवाद रूप से लगातार जानकारी सायलान मकानात निर्मित कर रिहायश करते चले आ रहे है। और गैरसायलान का कब्जा 12 वर्ष से अधिक पुराना होने से गैरसायलान का प्रतिकूल कब्जा विधि द्वारा उपधारित किये जाने योग्य है। और सायलान किसी भी प्रकार से गैरसायलान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वादग्रस्त आराजी पूर्ण तया आबादी के बीच स्थित है। और उक्त आराजी मे दीगर लोगो के ... मकान निर्मित होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.11.09 16:07:27 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

होकर रिहायश हो रही है। और सायलान का समस्त निर्माण एवं नं. 4651 मे सन 2001 का है जिससे सायल का कोई सम्बन्ध नही है यदि किसी विधिक कारण से गैर सायलान के निर्माण का कोई हिस्सा एवं नं 4646 मे पाया भी जावे तब भी सायलान गैर सायलान के उक्त निर्माण को हटवाने के अधिकारी नही है। सायलान द्वारा वास्तविक तथ्यो को छुपाते हुये सन 2015 मे निर्माण की झूठी कहानी बना कर दावा व द० प्रस्तुत किये है सायलान क्लीन हैण्ड से नही आये है और सायलान का वाद ग्रस्त आराजी पर रिहायशी मकान बना हुआ है जो निर्माण रेगुलराइजेशन की श्रेणी मे आता है। और सायलान ने कब्जा वापिसी बाबत कोई दावा प्रस्तुत नही किया है। और सायलान के विरुद्ध सायलान कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अन्त मे प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील सायलान का बहस मे कथन है कि वादग्रस्त आराजी सायलान व प्रतिवादी नं० 7 व 8 के खातेदारी की शामलाती है जिसमे गैर सायलान का कोई सम्बन्ध नही है गैर सायलान वाद ग्रस्त आराजी मे ताकत के बल पर जबरन अवैध निर्माण करने पर आमादा है। और निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया है। सायलान भूमि के खातेदार है सायलान ने समर्थन मे नकल जमाबन्दी 2068 से 2071 प्रस्तुत की है जिससे प्राईमाफेसी केस सायलान साबित है। यदि गैर सायलान द्वारा सायलान की खातेदारी भूमि मे निर्माण किये जाने पर सायलान को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा है एवं नं 4646 से कोई सम्बन्ध गैर सायलान नही होना गैर सायलान [illegible] जाना व्यक्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.11.09 16:07:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किया जावे।

वकील गैरसायलान का बहस मे कथन है कि गैरसायलान का निर्माण खं. नं. 4651 मे है जो वर्ष 2001 से है। खं. नं. 4646 से गैरसायलान का कोई सम्बन्ध नहीं है खं. नं. 4646 मे गैरसायलान का कोई निर्माण नही है। सायलान के हक मे गलत व अवैध खातेदारी इन्द्राज हुये है सायलान का भूमि पर कब्जा काश्त नही है। गैरसायलान का निर्माण 12 साल से अधिक समय से है गैरसायलान का भूमि पर मुखालफाना कब्जा है। प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किया जावे।

बहस वकील उभय पक्ष का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 मे वादग्रस्त आराजी सायलान व प्रतिवादी नं. 7 व 8 के सयुक्त खातेदारी मे दर्ज है। कृषि भूमि के सम्बन्ध मे मुखालफाना कब्जा विधि अनुसार लागू नही होता है गैरसायलान का जवाब प्रार्थना पत्र मे खं. नं. 4646 से कोई सम्बन्ध नही होना व निर्माण नही होना स्वीकृत है प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से सायलान का भूमि के खातेदार होने से प्राईमाफेसी केस साबित है एवं अपूर्णीय क्षति व सुविधा का सन्तुलन भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने से सायलान के पक्ष मे प्रकट है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किया जाता है। गैरसायलान को ता फैसला वाद पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह आराजी खं. नं. 4646 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा कस्बा करौली तह. करौली की मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे एवं आराजी मे कोई निर्माण कार्य नही करें ना किसी अन्य से करावें।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2020 को खुले न्यायालय मे लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.11.09 16:07:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner